

प्रेषक,

श्याम सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक 06 अगस्त 2024

विषय: जनपद अल्मोड़ा की विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों से सम्बंधित का कार्यों की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति (विस्तृत आगणन)।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता, क्षे.का., लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा द्वारा विषयगत कार्य हेतु उपलब्ध कराये गये विस्तृत आगणन, जिसमें 02 मार्गों की कुल लम्बाई 2.42 कि.मी. एवं लागत ₹ 316.32 लाख है, के शासन स्तर पर परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पायी गयी धनराशि ₹ 316.32 लाख (रूपये तीन करोड़ सोलह लाख बत्तीस हजार मात्र) की प्रशासकीय तथा वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए, चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में व्यय हेतु प्रति कार्य ₹0.10 लाख (₹ दस हजार मात्र), अर्थात् निम्न 02 कार्यों हेतु कुल ₹0.20 लाख (₹ बीस हजार मात्र) की धनराशि आपके निर्वर्तन में रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र० सं०	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी०)	शासन द्वारा अनु० लागत (₹ लाख में)	शासन द्वारा अवमुक्त धनराशि (₹ लाख में)
1	2	3	4	5
1	मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 769/2021 के अन्तर्गत जनपद स्तरीय सड़क सुरक्षा के अन्तर्गत जनपद व विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा में गैस गोदाम लिक मार्ग में क्रेश बैरियर, सुरक्षात्मक दीवारें एवं इंटरलॉकिंग टाईल्स द्वारा सतह सुधार का कार्य।	0.670	137.96	0.10
2	मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 787/2021 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर में चायखान-थुवासिमल मोटर मार्ग के कि०मी० 12 से निरई ग्राम पंचायत तक 02 कि०मी० सड़क का डामरीकरण व अन्य कार्य।	1.750	178.36	0.10

	कुल योग :	2.42	316.32	0.20
--	-----------	------	--------	------

(रू.बीस हजार मात्र)

2- उपरोक्त स्वीकृतियाँ निम्न शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन रहेंगी:-

- i. विस्तृत आगणनों में उल्लिखित दरें, जो शेड्यूल ऑफ रेट से भिन्न हैं अथवा बाजार भाव से ली गई हों, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।
- ii. कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व प्राविधिक स्वीकृति के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-I/149101/2023 दिनांक 25 अगस्त, 2023 में प्राविधानित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाय। यह भी देख लिया जाय कि उक्त कार्य इससे पूर्व अन्य विभागीय बजट से न कराये गये हों, यदि कराये गये हैं तो उस सीमा तक धनराशि की स्वीकृति के बाद आहरण नहीं किया जायेगा।
- iii. प्रत्येक स्वीकृत योजना हेतु ठेकेदार के साथ गठित किये जाने वाले अनुबन्ध में, निर्माण से सम्बन्धित माईलस्टोन एवं समय-सारणी स्पष्ट रूप से उल्लिखित की जायेगी तथा अनुबन्ध के अनुरूप ठेकेदार द्वारा कार्य पूरा न किये जाने की दशा में नियमानुसार आवश्यक क्षतिपूर्ति अध्यारोपित करते हुए वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
- iv. ठेकेदार द्वारा समय से कार्य पूरा न करने की Debitable आधार पर अन्य एजेन्सी का अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 के अन्तर्गत नियमानुसार चयन कर निर्माण कार्य पूरा किया जायेगा। स्वीकृत निर्माण कार्य को किसी भी दशा में, शासन की पूर्वानुमति के बिना, अपूर्ण अवस्था में समाप्त नहीं किया जायेगा।
- v. निर्माण कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण किये जाने का समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता का होगा।
- vi. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाये।
- vii. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें। बजट मैनुअल के समस्त नियमों का भी अनुपालन किया जायेगा।
- viii. आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है, व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।
- ix. यदि विषयगत कार्य को लोक निर्माण विभाग के बजट से अथवा अन्य विभागीय बजट से कोई धनराशि स्वीकृत की गई है तो उस योजना हेतु इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण न करके धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी।
- x. स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत नियमों, बजट मैनुअल तथा उत्तराखण्ड प्रेक्चोरमेन्ट रूल्स- 2017 एवं उक्त के विषय में समय-समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
- xi. वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय दिनांक 31.03.2025 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत मद (चालू कार्यों) में निवर्तन में रखी गई धनराशि से किया जायेगा।
- xii. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या- 2047/XIV-219(2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित

I/230531/2024

- करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- xiii. विषयगत कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में व्यय हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि का बजट आवंटन, वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या- 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च, 2012 के अनुक्रम में, लोक निर्माण विभाग के अनुदान संख्या-22, के अन्तर्गत संलग्न अलॉटमेंट आई.डी. द्वारा आपको आवंटित कोड संख्या- 4227 Chief Engineer PWD में किया जा रहा है।
- xiv. उपरोक्त तालिका के क्रमांक-2 में अंकित कार्य के पक्कीकरण के कार्य से पूर्व मार्ग की सबग्रेड की ज्यामितियों को मानको के अनुसार प्राप्त किया जाये इस हेतु स्थल पर बैक कटिंग पिलर एवं लेविल पिलर अवश्यक स्थापित किये जाये तथा क्रैश बैरियर के कार्य को सम्पादित करने से पूर्व अधिशासी अभियन्ता द्वारा स्थलीय निरीक्षण कर इस हेतु आवश्यक स्थलों को चिह्नित कर इसका अनुमोदन अधीक्षण अभियन्ता से करवाया जाये।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं.- 22 लेखाशीर्षक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय -04 जिला तथा अन्य सड़कें-337 सड़क निर्माण कार्य -03 राज्य सेक्टर-0302 नया निर्माण कार्य-53 वृहद निर्माण (5054-04-800-03-02 से स्थानान्तरित) के नामे डाला जायेगा।

4- ये आदेश वित्त अनुभाग-2 के कम्प्यूटरजनित क्रमांक-I/230038/2024 दिनांक 02 अगस्त, 2024 में प्रदत्त सहमति के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Signed by Shyam Singh
Date: 06-08-2024 10:09:02

(श्याम सिंह)
संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2. सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
4. जिलाधिकारी, अल्मोड़ा।
5. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लो.नि.वि., अल्मोड़ा।
6. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. वित्त अनुभाग-2 -, उत्तराखण्ड शासन।
8. अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत्त, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा।
9. अधिशासी अभियन्ता, प्रा0ख0, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा।
10. गार्ड फाईल।

(श्याम सिंह)
संयुक्त सचिव